



राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान

(कार्यशाला एवं अनुरक्षण अनुभाग)

फा.सं. 21011/2/2026-डब्ल्यू.एम.एस.

दिनांक-09.02.2026

कार्यालय आदेश

ऐसा देखा गया है परिपत्र सं. डब्ल्यू.एम.एस.-30013/1/2025 दिनांक-01.12.2025 और कार्यालय आदेश सं. डब्ल्यू.एम.एस.-21012/1/2025 दिनांक-22.12.2025 जारी करने के पश्चात भी, प्रतिपूर्ति पात्र अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किए हुए टेलीफोन/मोबाइल/ब्रॉडबैंड इत्यादि बिल, उक्त परिपत्र एवं कार्यालय आदेश के अनुसार नहीं होते हैं।

अतः उपरोक्त अवरोध/समस्याओं को समयबद्ध और सही तरीके से निपटान हेतु निदेशक रास्वापक संस्थान द्वारा एक समिति का गठन किया गया है, जो इस प्रकार है: -

- | | |
|-------------------------|------------|
| 1. डॉ. रमेश चंद | अध्यक्ष |
| 2. डॉ. रेखा मीना | सदस्य |
| 3. श्री कृष्ण खरब | सदस्य |
| 4. श्री जगदीश सिंह रावत | सदस्य-सचिव |

कार्यक्षेत्र (ToR) :- समिति केवल उन मोबाइल/टेलीफोन/ब्रॉडबैंड आदि बिल / बिलों, को देखेगी जो कार्यशाला अनुभाग द्वारा प्रेषित किए गए हों, उनको प्रतिपूर्ति नियमों के अनुसार समीक्षा एवं जांच के पश्चात भुगतान के लिए संस्तुति करेगी।

यह कार्यालय आदेश निदेशक की स्वीकृति से जारी किया गया है।

(डॉ. राजेश कुमार)

कार्यवाहक उप-निदेशक (प्रशासन)

प्रति प्रेषित :-

1. निदेशक के वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक।
2. उप-निदेशक (प्रशासन) के वैयक्तिक
3. इंचार्ज, कंप्यूटर केंद्र, इस परिपत्र को संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।